न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 163/2025

हेमन्त कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तत्कालीन कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर हाल कार्या. मु. चि. एवं स्वा० अधिकारी, खैरथल तिजारा।

–आवेदक

बनाम

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भुराराम, उम्र 49 वर्ष, (खाद्य कारोवारकर्ता मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स–सुरेन्द्र बोहरा, जिलानी माता के पास, बहरोड निवासी गादोज, अलवर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) / 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक

1. उपर्युक्त उनवानी स्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेमन्त कुमार यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 27 सितम्बर 2024 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 7 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आदेश एवं दिनांक 08.10.2024 क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि./संस्था/2024/2098 आयुक्ता०/खासुऔनि./संस्था/2023/3210 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 24.10.2024 को वाद दोपहर 02.20 बजे मुस्तगीस वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स–सुरेन्द्र बोहरा, जिलानी माता के पास, बहरोड स्थित पर पहुँचा।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

उक्त स्थल पर विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भुराराम, मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ, रसगुल्ला (छैना मिठाई) आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री सुनील कुमार एवं श्री रोशन लाल यादव की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भुराराम, उम्र 49 वर्ष, निवासी गादोज, अलवर का होना बताया एवं स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया एवं मौके पर स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत कि जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन पत्र होना जाहिर किया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर में रखी स्टील की भगोनो में रखे करीब 700 किलो रसगुल्ला (छैना मिठाई) में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री सुनील कुमार एवं श्री रोशन लाल यादव की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त रसगुल्ला (छैना मिठाई) में से 2 किलो गुल्ला (छैना मिठाई) वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखे एवं खाली स्टील की ट्रे में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 किलो रसगुल्ला (छैना मिठाई) को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा रसगुल्ला (छैना मिठाई) को प्रत्येक बोतल में बरावर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

   लेवल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–14852 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।
5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने

की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल. (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त रसगुल्ला (छैना मिठाई) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 1151 दिनांक 24.12.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अन्तर्विष्ट वाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Containing Extraneous Matter (Foreign Fat) Under Section 3(1)(i)) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण केसमस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति क्रमांक 737 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त खाद्य अभियुक्त द्वारा अन्तर्विष्ट वाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Containing Extraneous Matter (Foreign Fat) Under Section3(1)(i)), रसगुल्ला (छैना मिठाई) की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामिल हेतु नोटिस जारी किये गया बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव उपस्थित आकर वकालतनामा मय जवाव पेश किया गया।
12. वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाव के तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2024 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर चैंकिग हेतु नही आये ना ही अप्रार्थी के समक्ष रसगुल्ले खरीद किये गये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिस दिन आये उस दिन अप्रार्थी के चाचा मौजूद थे जो कि एक अनपढ व्यक्ति है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी होने पर अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

पर आया जहॉ की गई घटना के बारे में पता चला जिसके दो दिन बाद अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तीन–चार कागज पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही रंजिस वस की गई है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नही की है तथा जॉच रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नही आई है कि रसगुल्ला खाने योग्य नही हो। जॉच रिपोर्ट में केवल स्टार्च का होना पाया गया है जो कि पशुओ को खिलाये जाने वाले पदार्थो के कारण दुध में ही होना संभव हो सकता है। अप्रार्थी की ओर से स्टार्च/मांढ की कोई मिलावट नही की है। प्रार्थी को अपने स्तर पर जॉच का कोई अवसर नही दिया गया है। इसलिए परिवाद को खारीज किया जावें।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों रिकॉर्ड शहादत का अवलोकन किया । प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को रसगुल्ला (छैना मिठाई) में मिलावट का शक होने पर 2 किलो रसगुल्ला वास्ते जाँच नमुना लिया जाकर राज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयुपर राजस्थान को भिजवाने पर उनके द्वारा अपनी जाँच रिपार्ट से उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) बाहरी स्टार्च की उपस्थिति के कारण अंतर्विष्ट बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ पाया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में वर्णित किया है कि खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है तथा जो स्टार्च पाया गया वह पशुओं को खिलाने वाले चारे के कारण उपिस्थत होना माना है, परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड शाहदत प्रस्तुत नहीं की है केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत के अभाव में प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा बेचा गया एवं तैयार किया गया खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) गुणवत्ता में शुद्व नहीं होने पर प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट अनुसार अन्तर्विष्ट बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ होना पाया गया है जिसकी अप्रार्थी द्वारा विक्री कर एफएसएस 2006 की धारा 26 (2)(ii) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अनुसरण में दण्डित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः अभियक्त श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भुराराम, उम्र 49 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स–सुरेन्द्र बोहरा, जिलानी माता के पास, बहरोड निवासी गादोज, अलवर पर ......25000/-...... शास्ति आरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 30/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्याय निर्णायक अधिकारी-र
एवं ...कोटपूतली-बहरोड़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली